

21/11/22 पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में
पेश हुई। वक्तुनाथ फेरीकेन उपस्थित।
अपील अपीलान्त स्वीकार की जाती है।
तथा अदोषित आदेश इतकाल दिनांक
21/02/2022 रैस्पौडेंट्स। लगायत 5 की
हद तक निरस्त किया जाता है। विस्तृत
निर्णय जुदागाना मेरे द्वारा लिखवाया
जाकर शामिल मिसल किया गया।

पत्रावली फौसल शुमार होकर हस्त जाहता
दार्थिक दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक
12/11/2022 को सुनाया गया।

4
उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला-बीकानेर